



राजस्थान-सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141-2224878

ई-मेल: rpsc.mnjy@gmail.com

क्रमांक: एक04(159)/एमएनजेवाई/बजट/2014-15/ 189

दिनांक: 26-03-15

विधानसभा से संबंधित अति-आवश्यक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय:-मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत आवंटित बजट के पूर्ण उपयोग के बाबत।

संदर्भ:-परिवर्तित बजट निर्णायक सभिति (वर्ष 2014-15) की बैठक के निर्णय अनुसार एवं इस कार्यालय के पत्रांक 350 दिनांक 26.09.2014 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के सफल संचालन व क्रियाव्ययन हेतु चिकित्सा संस्थानों के लिए समय-समय पर मुख्यालय से विभिन्न मर्दानों (01 संवेतन, 12 ग्रांट इन एड, 18 मशीनरी एवं उपकरण) में राशि हस्तांतरित की जा रही है।

परिवर्तित बजट निर्णायक सभिति (वर्ष 2014-15) की बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार आवंटित बजट राशि के नियमानुसार समयबद्ध उपयोग में लिये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में दूरभाष पर व मौखिक रूप से भी आपको अवगत कराया जाता रहा है। आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में एमआरएस/संविदा/प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मिकों के व न्यायालय प्रकरण के अधीन कार्यरत रोगी सलाहकारों के मानदेय भुगतान समय पर व नियमानुसार किये जावें तथा एजेंसियों से नियमानुसार भुगतान दिलावाया जाना भी सुनिश्चित करें। जिससे इन कर्मिकों से संबंधित किसी भी प्रकार की न्यायालय अवमानना व शिकायत प्रकरण प्राप्त नहीं हों।

अतः योजनान्तर्गत आवंटित राशि का दिनांक 31 मार्च 2015 तक पूर्ण उपयोग करते हुए एवं अविलम्ब फरवरी 2015 तक किये गये व्यय का ब्यौरा मदवार आज ही आवश्यक रूप से ई-मेल rpsc.mnjy@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करावें। व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाने की स्थिति में की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

कमांक: एक04(159)/एमएनजेवाई/बजट/2014-15/

दिनांक :

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को भेजकर लेख है कि आपके जाने के अधीन चिकित्सा संस्थानों को मुख्यालय द्वारा जारी किये गये बजट के 31.03.2015 तक पूर्ण उपयोग कराते हुए माह फरवरी 2015 तक के व्यय विवरण अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें। तथा दिनांक 26.03.2015 तक जोन की रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर